



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1935 (श10)  
(सं0 पटना 248) पटना, वृहस्पतिवार, 6 मार्च 2014

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

4 मार्च 2014

सं0 6 सी.एम.टी.-24/2012-1374—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. वाद संख्या-25237/10 एवं 23984/2010 अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय संघ में दिनांक 10.12.2013 को पारित आदेश के अनुपालन में मोटर वाहनों के ऊपर/आगे लाल/पीला बत्ती डीम सहित के प्रयोग हेतु पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाओं में संशोधन करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 108(1) के परन्तुक के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्नलिखित उच्च पदस्थ व्यक्तियों को ले जा रहे वाहनों पर लाल बत्ती (फ्लैशर सहित एवं फ्लैशर रहित) प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाता है:-

(क) वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर फ्लैशर सहित लाल बत्ती, जब वाहन देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो-

1	राज्यपाल
2	मुख्य मंत्री
3	भूतपूर्व राज्यपाल
4	बिहार विधान परिषद के सभापति
5	बिहार विधान सभा के अध्यक्ष
6	पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
7	लोकायुक्त
8	कैबिनेट स्तर के मंत्री
9	उपाध्यक्ष, राज्य योजना पर्वद
10	भूतपूर्व मुख्य मंत्री

11	बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता
12	बिहार विधान सभा में विरोधी दल के नेता
13	पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण
14	वित्त विभाग की पाँच सरकारी गाड़ियाँ जो भारत सरकार एवं अन्य राज्यों के उच्च पदस्थ व्यक्तियों के आगमन पर प्रयोग में लायी जायेंगी।

(ख) वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर बिना फ्लैशर के लाल बत्ती जब वाहन, देश में कहीं भी ड्यूटी पर हो :-

1.	उपसभापति, बिहार विधान परिषद
2.	उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा
3.	राज्य मंत्री
4.	उप मंत्री
5.	राज्य निर्वाचन आयुक्त
6.	राज्य योजना पर्षद के सदस्य
7.	मुख्य सचिव, बिहार
8.	महाधिवक्ता, बिहार
9.	अध्यक्ष, बिहार अल्पसंख्यक आयोग
10.	अध्यक्ष, बिहार अनुसूचित जाति आयोग
11.	अध्यक्ष, बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग
12.	अध्यक्ष, अति पिछड़ा वर्ग आयोग
13.	अध्यक्ष, महादलित आयोग
14.	अध्यक्ष, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग
15.	अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग
16.	अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग
17.	प्रधान अपर महाधिवक्ता, बिहार

(ग) कोई वाहन जो ऐसे उच्च पदस्थ व्यक्ति को ले जा रहा हो, जो रैंक, प्रास्थिति (status) और प्रसुविधाओं (privileges) में ऊपर मद्द "क" और "ख" में निर्दिष्ट " उच्च पदस्थ व्यक्तियों" के समतुल्य औपचारिक रूप से अभिहित (formally designated) हों, तत्संबंधी प्रसुविधाओं के अनुसार लाल बत्ती का प्रयोग करने के लिए हकदार होंगे ।

(घ) भविष्य में किसी पद को राज्य सरकार द्वारा ऊपर मद्द "क" और "ख" में निर्दिष्ट उच्च पदस्थ व्यक्तियों के समतुल्य औपचारिक रूप से अभिहित (formally designated) किये जाने पर परिवहन विभाग के स्तर से उनके द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर लाल बत्ती के प्रयोग के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर अलग से विभागीय अधिसूचना निर्गत की जायगी ।

(ङ.) यदि कोई वाहन जिस पर के शीर्ष अग्र भाग पर लाल बत्ती लगी हुई है, उच्च पदस्थ व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा है तो ऐसी लाल बत्ती का उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे काले आवरण से ढँक दिया जाएगा ।

(च) सरकारी वाहन में विभाग का नेम प्लेट तथा सरकार का मोनोग्राम रहेगा।

(छ) एम्बुलेंस को बैगनी शीशे के अंदर ब्लिंकर टाईप लाल बत्ती तथा आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों, अग्निशमन सेवा के वाहनों एवं विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों/महानुभावों को स्कॉर्ट/पायलट करनेवाले पुलिस वाहनों एवं विधि व्यवस्था संबंधी कार्यों में संलग्न पुलिस वाहनों को नीली /मल्टी कलर्ड/सफेद बत्ती अनुमान्य

होगी । इसके अतिरिक्त किसी अन्य एजेन्सी/पदधारक के द्वारा प्रयुक्त वाहनों के ऊपर नीली/ मल्टीकलर्ड/सफेद बत्ती की अनुमान्यता के सम्बंध में परिवहन विभाग के स्तर से माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर अलग से विभागीय अधिसूचना निर्गत की जाएगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट,  
सरकार के प्रधान सचिव।

*The 4th March 2014*

No. 6/CMT -24/2012 -1374—In compliance of the order of Hon'ble Supreme Court passed on 10.12.2013 in SLP case no. 25237/2010 and 23984/ 2010, Abhay Singh Vrs. State of Uttar Pradesh and Union of India , the State Government in exercise of powers vested in it under proviso (iii) to rule 108(1) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 , hereby makes the following amendments in all the earlier notifications issued regarding use of red/yellow lights and specifies that a vehicle carrying following dignitaries shall be permitted to use :-

(a) Red light with flasher on the top front of the vehicle while on duty anywhere in the country:-

1	Governor
2	Chief Minister
3	Former Governor
4	Chairman, Bihar Legislative Council
5	Speaker, Bihar Legislative Assembly
6	Chief Justice , Patna High Court
7	Lokayukta
8	Cabinet Ministers
9	Deputy Chairman, State Planning Board
10	Former Chief Ministers
11	Leader of Opposition in the Bihar Legislative Council
12	Leader of Opposition in the Bihar Legislative Assembly
13	Judges of Patna High Court
14	Five official vehicles of Finance Department to carry high dignitaries of Government of India and other States on their visit to this State.

(b) Red light without flasher on the top front of the vehicle while on duty anywhere in the country:-

1	Deputy Chairman, Bihar Legislative Council
2	Deputy Speaker, Bihar Legislative Assembly
3	Ministers of State
4	Deputy Ministers
5	State Election Commissioner
6	Members of State Planning Board
7	Chief Secretary , Bihar

8	Advocate General , Bihar
9	Chairman, Bihar Minorities Commission
10	Chairman, Bihar State Scheduled Castes Commission
11	Chairman, Bihar State Scheduled Tribes Commission
12	Chairman, Commission for Most Backward Classes
13	Chairman, Mahadalit Commission
14	Chairman, State Commission for High Castes
15	Chairman, Commission for Backward Classes
16	Chairman, Bihar Public Service Commission
17	Principal Additional Advocate General, Bihar

(c) Any vehicle carrying the dignitary formally designated as equivalent in rank, status and privileges to those dignitaries referred to in items (a) and (b) above shall be entitled to use the red light as per the corresponding privileges.

(d) In future, if the state govt. formally designates any post /office/position equivalent to the post/office/position as mentioned in para 'a' and 'b' above the Transport Department with approval of Hon'ble Chief Minister may issue notification regarding use of red light on the official vehicle of such designated high dignitary.

(e) In case of vehicles fitted with red light on the top front is not carrying the dignitaries then such red light shall not be used and be covered by a black cover.

(f) All the government vehicles shall have name plates of the department and monogram of government.

(g) A blinker type red light under cover of the purple glass shall be used by ambulance and the vehicles used in emergency services, fire services and police vehicles escorting /piloting high dignitaries and police vehicles used in law and order duties shall use blue / multi coloured / white lights. The Transport Department with the approval of Hon'ble Chief Minister may issue notification regarding the use of blue / multi coloured / white light on the official vehicle used by any other agency / officer.

By order of the Governor of Bihar,  
Sd./Illegible,  
*Principal Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 248-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>